बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02/ग्रा0वि0–05/2013–   /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ऋण के रूप में प्राप्त मूलधन की राशि को आर0ई0सी0 लि0 को पुनर्भुगतान करने हेतु दिनांक–15.12.2025 तक देय राशि 4,26,20,051/–(चार करोड़ छब्बीस लाख बीस हजार इक्यावन) रूपये मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि0 को करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5816 दिनांक–15.12.2025 के आलोक में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ऋण के रूप में प्राप्त मूलधन की राशि को आर0ई0सी0 लि0 को पुनर्भुगतान करने हेतु दिनांक–15.12.2025 तक देय राशि 4,26,20,051/–(चार करोड़ छब्बीस लाख बीस हजार इक्यावन) रूपये मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि0 को करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज, उपशीर्ष–0017 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि0 से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु विपत्र कोड–10–6801001900017 विषय शीर्ष–55.01 ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2025–26	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
13,85,00,000.00	8,99,90,618.00	4,26,20,051.00	13,26,10,669.00	58,89,331.00

3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही राशि की निकासी करेंगे।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा **CFMS** के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि0 के **HDFC Bank**, के0जी0 मार्ग, दिल्ली के चालू खाता संख्या–00030350000574, **IFSC Code-HDFC0000003** में किया जाएगा।

5. आवंटित राशि निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुधा गुप्ता),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/ग्रा0वि0–05/2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/ग्रा0वि0–05/2013– 153 /पटना, दिनांक– 15.12.2025

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) क0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/मुख्य परियोजना प्रबंधक, आर0,ई0,सी0 लि0, परियोजना कार्यालय, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.25
सरकार के संयुक्त सचिव।